Bus stand-Kali Putli chowk
Balaghat m.p-481001

कार्यालय नगरपालिका परिषद,बालाघाट जिला–बालाघाट म.प्र.

Tel no.07632-241377
Email:- cmobalaghat@mpurban.gov.in

क्रंमाक/सा.प्र./स्था.शा./दिव्यांग भर्ती/न.पा.परि./2024/266 बालाघाट दिनॉक–18/09/2024

!! विज्ञापन !!

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर याचिका क्रंमाक–WP-7275/2019 National Fedration Of The Blind MP Branch विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य दिव्यांगजनों के रिक्त पदो की पूर्ति अभियान विशेष भर्ती अभियान के तहत् दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित निम्न पदों की पूर्ति के लिए पात्र अभ्यर्थीयों से संलग्न प्रारूप पर आवेदन आमंत्रित किये जाते है । आवेदन दिनॉक–04/10/2024 को शाम 05:00 बजे तक डाक अथवा व्यक्तिशः नगरपालिका परिषद बालाघाट जिला–बालाघाट के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते है ।

क्र	पदनाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	दिव्यगजानों के लिए आरक्षित वर्गवार रिक्तीयॉ				निर्धारित योग्यता
				दृष्टिबाधित/कम दृष्टि	बहरे एवं कम सुनने वाले	लोकोमीटर,डिसेबिलीटी जिसमें सम्मिलित है,सेरेब्रल,पाल्सी,कुष्ठरोग,मुक्त बोना,एसीड अटैक पीडित,मस्कुलर डिस्ट्राफी,	ऑटीज्म,बौद्धिक दिव्यांगता,स्पेसिर्फक, लर्निग, डिसेबिलीटी, और मानसिक बीमारी और बहुविकंलगता	
01	02	03	04	05	06	07	08	09
01	सहायक राजस्व निरीक्षक	तृतीय श्रेणी	19500–62000 (लेबल–2)	01	01	–	–	पूर्व माध्यमिक परीक्षा उर्त्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र (पूर्व 8 वी)
02	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	15500–49000 (लेबल–1)	01	01	01	01	प्राथमिक परीक्षा उर्त्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र
03	सफाई संरक्षक	चतुर्थ श्रेणी	15500–49000 (लेबल–1)	02	01	01	01	पॉचवी कक्ष उर्त्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र

मुख्य शर्ते:–

1. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है ।
2. इस विज्ञापन के जारी होने के दिनॉक को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकत्तम आयु–45 वर्ष होना चाहित ।
3. आवेदक का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है ।
4. आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरूष के लिए 21 वर्ष,महिला के लिए 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो तो,उक्त पद के लिए उसे अयोग्य माना जावेगा ।
5. प्राप्त आवेदनों की जॉच के बाद मैरिट के आधार पर चुनिंदा अभ्यर्थीयों को वॉक–इन–इंटरव्यू/साक्षरता के लिए आमंत्रित किया जावेगा । उक्त की सूचना आवेदक की ई–मेल आई.डी. पर दी जावेगी ।
6. वॉक–इन–इंटरव्यू के लिए आने वाले आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा अथवा अन्य भत्ता देय नही होगा ।
7. आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख स्वयं अथवा राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होने चाहिए ।
8. भर्ती से सबंधित अन्य जानकारी निकाय की वेबसाईट–https://nagarpalikabalaghat.com/कार्यालय कलेक्टर जिला–बालाघाट/जिला पंचायत कार्यालय/निकाय के सूचना पटल पद देखी जा सकती है ।
9. नियुक्ति से सबंधित सभी अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षित होगें ।
10. आवेदन भेजने का पता–मुख्य नगरपालिका अधिकारी,नगरपालिका परिषद बालाघाट वार्ड क्रंमाक–14,काली चौक,बालाघाट मध्यप्रदेश पिन–481001 ।
11. अधूरे,अस्पष्ट,एवं अपठनिय आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जावेगा ।

परियोजना अधिकारी
जिला शहरी विकास अभिकरण
बालाघाट (म.प्र.)

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद बालाघाट
जिला–बालाघाट म.प्र.

प क्रंमाक/सा.प्र./स्था.शा./दिव्यांग भर्ती/न.पा.परि./2024/266A बालाघाट दिनॉक–18/09/2024

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त नगरीय प्रशासन एव आवास विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बालाघाट जिला बालाघाट म.प्र. ।
3. संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ ।

4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बालाघाट के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ ।
6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बालाघाट के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ ।
7. जिला रोजगार कार्यालय बालाघाट के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ ।
8. परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण जिला बालाघाट म.प्र. ।
9. अध्यक्ष नगरपालिका परिषद बालाघाट की ओर सूचनार्थ ।
10. उपाध्यक्ष एवं समस्त सभापति नगरपालिका परिषद बालाघाट की ओर सूचनार्थ ।
11. कार्यालय नगरपालिका परिषद बालाघाट के सूचना पटल पर प्रकाशनार्थ ।
12. संपादक–दिव्य एक्सप्रेस बालाघाट/बालाघाट एक्सप्रेस बालाघाट /जबलपुर एक्सप्रेस जबलपुर/नई दुनिया जबलपुर/दैनिक भास्कर बालाघाट/द क्लिक न्यूज भोपाल/की ओर विज्ञापन का प्रकाशन किया जाकर बिल न्यूनतम कार्यालय में निहित दरों पर समाचार पत्रों की तीन प्रतियों में इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश पत्र संलग्न कर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे ।
13. प्रभारी अधिकारी ई–नगरपालिका नगरपालिका परिषद बालाघाट की ओर निकाय वेबसाईट–https://nagarpalikabalaghat.com/and balaghat.nic.in किया जाकर पालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे ।

O/C

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद बालाघाट
जिला–बालाघाट म.प्र.

परियोजना अधिकारी
जिला शहरी विकास अभिकरण
बालाघाट (म.प्र.)

मेरे द्वारा आज दिनांक – 19/09/2024 को ज.पं.बालाघाट के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है 19/09/24

[illegible]
ई नगरपालिका
7000481577

[illegible]
नरकुनिया

नगरपालिका परिषद, बालाघाट
शाखा / विभाग स्थापना
19 SEP 2024
1470
अधीक्षक मु.न.पा.अधि.

19/9/24
दिव्य एक्सप्रेस बालाघाट

19.9.24
बालाघाट एक्सप्रेस बालाघाट

[illegible]
जबलपुर एक्सप्रेस

Bus stand-Kali Putli chowk
Balaghat m.p-481001
Tel no.07632-241377
Email:- cmobalaghat@mpurban.gov.in

कार्यालय नगरपालिका परिषद,बालाघाट जिला–बालाघाट म.प्र.

दिव्यांगजनों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विस्तृत जानकारी

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा रिट याचिका कमांक 7275/2019 में दिनांक 30.01.2024 को पारित आदेश के अनुक्रम में विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित निम्न पदों की पूर्ति के लिये विज्ञापन कमांक 266......दिनांक 18/09/2024 प्रसारित किया गया है।

क्र	पदनाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	दिव्यगजानों के लिए आरक्षित वर्गवार रिक्तीयॉ				निर्धारित योग्यता
				दृष्टिबाधित /कम दृष्टि	बहरे एवं कम सुनने वाले	लोकोमीटर,डिसेबिलीटी जिसमें सम्मिलित है,सेरेब्रल,पाल्सी,कुष्ठरोग,मुक्त बोना,एसीड अटैक पीडित,मस्कुलर डिस्ट्राफी,	ऑटीज्म,बौद्धिक दिव्यांगता,स्पेसिर्फक, लर्निंग, डिरोबिलीटी, और मानसिक बीमारी और बहुविकलगता	
01	02	03	04	05	06	07	08	09
01	सहायक राजस्व निरीक्षक	तृतीय श्रेणी	19500–62000 (लेबल–2)	01	01	–	–	पूर्व माध्यमिक परीक्षा उर्त्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र (पूर्व 8 वी)
02	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	15500–49000 (लेबल–1)	01	01	01	01	प्राथमिक परीक्षा उर्त्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र
03	सफाई संरक्षक	चतुर्थ श्रेणी	15500–49000 (लेबल–1)	02	01	01	01	पॉचवी कक्ष उर्त्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र

<u>उपरोक्त पदों की पूर्ति के लिये विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है-</u>

मुख्य शर्तेः-

1. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. समस्त प्रमाण-पत्रों को सक्षम अधिकारी अथवा स्वयं सत्यापित करने उपरांत प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न प्रेषित की जायें।
3. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी 3-36/16/1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार अभ्यार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष, आरक्षित वर्ग-अनुजा, अनु जनजाति, अन्यपिछडा वर्ग, शासकीय/निगम/मण्डल/स्वाशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/निःशक्तजन /महिलाओ (अनारक्षित / आरक्षित) आदि के लिए 18 से 45 (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट) होगी।
4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी-3-8/2016/3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं परिपत्र क्रमांक सी 3-38/16/1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार के अनुसार आवेदक का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
5. आवेदक को वॉक-इन-इंटरव्यू/साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य है।
6. दिव्यांगता के डिजिटल प्रमाण पत्र की अनिवार्यता दिनांक 01.06.2021 से लागू की गई है। अतः उक्त तिथि के पूर्व जारी मैन्यूअल दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।
7. डिजिटल जाति मूल निवासी प्रभाग पत्र/जाति प्रमाण-पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया ही मान्य होगा।
8. वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए आने वाले आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।
9. अधूरे, अस्पष्ट एवं अपठनीय आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
10. भर्ती से संबंधित जानकारी एवं शर्त कार्यालयीन समय में निगम/निकाय से प्राप्त की जा सकती है।
11. यह कि जिसआवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरूष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो उसे उक्त पदों के लिए अयोग्य माना जायेगा।
12. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि यह आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को आवेदन [illegible]

13. आवेदन-पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी जाती है अथवा वांछित प्रमाण-पत्र संलग्न नही किया जाता है, तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।
14. सीधी/बैकलॉग के पदों पर आवेदनक राष्ट्रीय पेंशन योजना 2005 अंतर्गत नियुक्ति होगें।
15. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2014 के अनुसार वर्गवार आरक्षण न करते हुए दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर आरक्षण किये जाने से विशेष पिछडी जनजातियों (सहरिया / सहरिया, भारिया एवं बैगा) महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदकों को पृथक से आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
16. ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण है एवं विहित प्रारूप में नहीं है वे निरस्त कर दिये जायेंगे। अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हो जो रूपान्तरित किये गये हो वे भी निरस्त कर दिए जाएंगे। साथ ही ऐसे विवरण दिये गए हो, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो. जो चयन के लिए आवश्यक हो तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जाएंगे।
17. दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का उनके लिये जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही कि वे वास्तव में विकलांग है यह जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।
18. यह कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के निःशक्तता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या अधिक पाए जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।
19. शासन के आदेश के अनुसार, कोई भी अभ्यार्थी िजसके02 से अधिक जीवत सन्तानें हैं, जिसने से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है तो ऐसा अभ्यार्थी नियुक्त हेतु पात्र नहीं होगा, लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में दो या अधिक सन्ताने जन्म लेती है तो उसे अयोग्य नही माना जावेगा।
20. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी, 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर अभ्यार्थी 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त होगा। परिवीक्षा अवधि में अभ्यार्थी को प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वित्तीय वर्ष 80 प्रतिशत्त एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में दी जायेगी।
21. दिव्यांजनों हतेुचिन्हांकित संविदा के पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही मध्यप्रदेश नगरपालिका संविदा (अनुबंध तथा सेवा की शर्ते) सेवा, नियम 2021 में विहित प्रावधानुसार की जायेंगी।
22. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षित होगें।
23. प्राप्त आवेदनों की जॉच उपरांत मैरिट के आधार पर वॉक–इन–इंटरव्यू/साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थीयों को आमत्रित किया जावेगा । उक्त की सूचना आवेदक द्वारा दी गई ई–मेल आई.डी प्रेषित की जावेगी ।

दिनॉक–18/09/2024

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद बालाघाट
जिला–बालाघाट म.प्र. ।

!! आवेदन प्रारूप !!

स्व–प्रमाणित पासपोर्ट साईज का फोटो चस्पा करे ।

प्रति,

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगरपालिका परिषद बालाघाट
जिला–बालाघाट म.प्र. ।

विषय:–पद..............................वर्ष......................के लिये आवेदन ।

संदर्भ:– आपका विज्ञापन क्रमांक............दिनॉक–....../...../...........

—00—

1. आवेदक/आवेदिका का पूरा नाम :–..
2. आवेदक/आवेदिका के पिता/पति का नाम:–..
3. आवेदक/आवेदिका की माता का नाम:–..
4. आवेदक/आवेदिका की जन्म तिथि (जन्म प्रमाण पत्र/हाई स्कूल की अंक सूची अनुसार) वर्ष....................माह......................दिन.............. ।
5. विज्ञापन प्रसारण के दिनॉक को आयु वर्ष..........................माह............................दिन................................ ।
6. आवेदक/आवेदिका लिंग (पुरूष/महिला/अन्य):–..
7. आवेदक/आवेदिका की जाति:–..
8. दिव्यांगता की श्रेणी एवं दिव्यांगता का प्रतिशत:–..
9. आवेदक/आवेदिका यदि विवाहित हो तो विवाह के प्रमाण पत्र अनुसार विवाह की दिनॉक–..
10. जीवित संतानो का विवरण:–..
11. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रंमाक एवं रोजगार कार्यालय का नाम:–..
12. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताऐ:–

क्र	परीक्षा का नाम	संस्था बोर्ड/विश्वविधालय का नाम	विषय	कुल अंक	प्राप्त अंक	प्रतिशत	श्रेणी
01	02	03	04	05	06	07	08

13. पद हेतु अनुभव का विवरण:–..
14. अतिरिक्त विशेष योग्यता यदि हो तो उसका विवरण:–..
15. वर्तमान पता (पिन कोड सहित)–..
16. स्थाई पता (पिन कोड सहित)–..
17. पत्राचार का पता (पिन कोड सहित)–..
18. ईमेल आई.डी. (आवश्यक)–..
19. मोबाईल नम्बर (आवश्यक)–..

आवेदक के हस्ताक्षर एवं नाम ....

....

!! घोषणा पत्र !!

मैं घोषणा करता हूॅ/करती हूॅ,कि उपरोक्त सभी जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है,यह मेरे विवके एवं ज्ञान से पूर्णतः सत्य है । कोई भी जानकारी असत्य पाई जाने पर मेरा आवेदन निरस्त किया जावे ।

आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्नक:–1.म.प्र. के मूल निवासी का प्रमाण पत्र । 2.रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन । 3.दिव्यांगता प्रमाण पत्र (न्यूनतम 40 प्रतिशत) । 4.जाति प्रमाण पत्र । 5.जन्मतिथि का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र/हाई स्कूल की अंक सूची)